

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी
पत्रांक:-सीएफओ/एन /पीटीएच/2026(A-35)

ईमेल-cfoalm.ukfs@gmail.com

जनपद अल्मोड़ा।
दिनांक: सितम्बर 22, 2026

सेवा में,

प्रबंधक/स्वामी

अटल उत्कृष्ट राजकीय इण्टर कालेज जाबुकाथल पिथौरागढ़,
जाबुकाथल, जनपद-पिथौरागढ़

विषय: अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के Annual Clearance (नवीनीकरण) के सम्बन्ध में।

आवदेन यूनिट संख्या:-33157436, दिनांक: 16.09.2026 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त आवेदन का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेज़न पिथौरागढ़ से कराया गया, प्रभारी अग्निशमन अधिकारी पिथौरागढ़ की संस्तुति निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 19.09.2026 के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा हेतु (एबीसी क्षमता 04 कि०ग्रा० के 05 अदद, सीओटू 2.5 कि०ग्रा० के 02 अदद फायर एक्सटिंग्यूशर, इलैक्ट्रिक फायर आलार्म 01 अदद, दस हजार लीटर क्षमता का अण्डर ग्राउन्ड रिजर्व वाटर टैंक स्थापित है, अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से उपयुक्त पाया गया व अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में पाये गये। अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्नि जोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर नियमानुसार टेस्टिंग शुल्क जमा कराया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व: घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना होगा तथा सदैव मानकों के अनुरूप अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः प्रभारी अग्निशमन अधिकारी पिथौरागढ़ की संस्तुति के आधार पर संस्थान का (ब्लॉक A भूतल में 04 कमरें, 01 भोजनालय, ब्लॉक B भूतल में 01 हॉल, ब्लॉक C भूतल में 04 कमरें, ब्लॉक D भूतल में 05 कमरें, ब्लॉक E भूतल में 02 कमरें, कुल 15 कमरें 01 हॉल व 01 भोजनालय हेतु) दिनांक 22 सितम्बर 2026 से 21 सितम्बर 2029 तक प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अनापत्ति प्रमाण पत्र पर प्रदान किया जाता है व निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा :-

- 01 सभी बाहर निकलने या बचाव रास्ते तथा सेटबैक प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
- 02 आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
- 03 सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
- 04 भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटिलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
- 05 इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
- 06 संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।
- 07 संस्थान की समस्त विद्युत वायरिंग व विद्युत उपकरणों को समय-समय पर चैक कराया जाना नितांत आवश्यक है।

(नरेन्द्र सिंह कुँवर)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।